



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933

No. 641]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 841(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) नियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये दिसंबर, 2011 के पहले दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) नियम, 2001 के नियम 9 में, -

(क) उप नियम (1) में

(i) उप नियम (1) में "राज्य सरकार की प्रतिभूतियां" शब्दों के पश्चात "अथवा किसी अन्य लिखत में" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा।

(ख) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"10 निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशि को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा। ऐसी प्रतिभूतियां उप नियम (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसार निर्गमित की जाएंगी। उप नियम (5) और उप नियम (6) में यथावर्णित उपयुक्त लेखा प्रविष्टियां मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएंगी।"

[फा. सं. 1/12/2011-एन.एस.-11]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पणः मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि.114(अ) तारीख 27 फरवरी, 2001 के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात सा.का.नि.587(अ) तारीख 12 सितंबर, 2007 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

G.S.R. 841(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 283 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments in the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Rules, 2001, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Amendment Rules, 2011.
(2) They shall come into force on the 1st day of December 2011.
2. In the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Rules, 2001, in rule 9,-
 - (a) In sub-rule (1),-
 - (i) after the words "State Government Securities", the words "or in any other instrument" shall be inserted;
 - (ii) proviso shall be omitted;
 - (b) For sub-rule (10), the following shall be substituted, namely:-

"(10) The amount received on maturity of the investments shall be invested in the Central Government and State Government securities. Such securities shall be issued in accordance with the provision contained in sub-rule (3). Suitable accounting entries as mentioned in sub-rule (5) and sub-rule (6) shall be made by the Chief Controller of Accounts, Ministry of Finance".

[F. No. 1/12/2011-NS-II]
M. A. KHAN, Under Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 114(E), dated the 27th February, 2001 and subsequently amended vide G.S.R. 587(E) dated the 12th September, 2007.